त्वरति सुधार जल प्रबंधन

प्रलिम्सि के लयि:

[अमृत सरोवर मशिन](), [अटल भूजल योजना](), **त्वरति सुधार जल समाधान**

मेन्स के लयि:

जल का अभाव और संबंधति कदम, जल संसाधन, संसाधनों का संरक्षण

चर्चा में क्यों?

भारत में बढ़ते जल संकट की समस्या को हल करने में गैर-लाभकारी और नागरकि समाज संगठनों द्वारा त्वरति-सुधार समाधानों के तहत अहम भूमिका नभिाई जा रही है।

- हालाँकयि ये त्वरति सुधार **लंबे समय तक स्थायी नहीं** हो सकते हैं। इन त्वरति सुधारों की सावधानीपूर्वक जाँच करना तथा यह सुनश्चिति करना आवश्यक है कि हम ऐसी रणनीतियाँ अपनाएँ जो भवषि्य में स्थायी बनी रह सकें।

त्वरति-सुधार जल समाधान:

- **परचिय:**
  - त्वरति-सुधार जल समाधान से तात्पर्य वशिष रूप से **जल की कमी या जल प्रबंधन में चुनौतयिों का सामना करने वाले क्षेत्रों में जल से संबंधति मुद्दों के समाधान** के लयि लागू कयि गए **तत्काल और अक्सर अस्थायी उपायों** से है।
- **वभिनि्न हस्तक्षेप:**
  - **नदयिों को चौड़ा और गहरा करना:** जल-वहन क्षमता बढ़ाने के लयि **प्राकृतकि जलस्रोतों को संशोधति** करना।
  - **जल संचयन प्रतयियोगताएँ:** वभिनि्न समुदायों को **वर्षा जल संचयन** और **जल-बचत प्रथाओं को अपनाने** के लयि प्रोत्साहति करना।
    - व्यापक जल प्रबंधन रणनीतयिों के बनिा सीमति प्रभाव।
  - **नदी कनिारे वृक्षारोपण:** यह वधि मिट्टी को स्थरि रखती है और कटाव को रोकती है।
    - बड़े जल प्रबंधन मुद्दों को पूरी तरह से संबोधति नहीं कयिा जा सकता है।
  - **त्वरति अवसंरचना वकिास: सीवेज उपचार संयंत्रों और जल ग्रडि** जैसी जल सुवधिाओं का तेज़ी से नर्िमाण करना।
  - **जलभृतों का कृत्रमि पुनर्भरण:** भूजल स्तर की पुनः प्राप्त हिेतु भूमगित जलभृतों में जल भरना।
    - इससे नपिटने के लयि सतत् स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता है।
  - **अलवणीकरण संयंत्र:** जल की ज़रूरतों को पूरा करने के लयि **समुद्री जल को मीठे जल में परविर्तति** करना।
    - ऊर्जा-गहन और महँगा होने के कारण यह कुछ क्षेत्रों में कम व्यवहार्य हो जाता है।
- **त्वरति सुधार जल समाधान पहल:**
  - **जलयुक्त शवरि अभयिान:**
    - महाराष्ट्र सरकार की पहल (2014) का उद्देश्य नदी को चौड़ा करने, गहरा करने,बाँधों की जाँच करने और गाद नकिालने के माध्यम से **वर्ष 2019 तक राज्य को सूखा मुक्त** बनाना है।
    - वशिषज्ञ इसे **अवैज्ञानकि, पारस्थितिकि रूप से हानकिारक** होने के कारण इसकी आलोचना करते हैं, जसिसे **अपरदन, जैववविधिता हान और बाढ़ के जोखमि में वृद्धि होती है।**
  - **वाटर कप:**
    - वर्ष 2016 में एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा शुरू की गई एक प्रतयियोगति ने महाराष्ट्र के गाँवों को **सूखे से बचाव** हेतु जल संचयन के लयि प्रोत्साहति कयिा।
    - आलोचक वैधता और स्थरिता पर सवाल उठाते हैं, क्योंक िइसमें जल की गुणवत्ता, भूजल प्रभाव, सामाजकि समानता तथा रखरखाव तंत्र की अनदेखी की गई है।

जल प्रबंधन के त्वरित समाधान में चुनौतियाँ:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - नदी को चौड़ा और गहरा करने जैसे तीव्र हस्तक्षेप से **पारिस्थितिक क्षति** हो सकती है।
  - जलदबाजी वाली परियोजनाओं के कारण अपरदन, अवसादन और जैवविविधता का नुकसान हो सकता है।
- **सीमित सामुदायिक सहभागिता:**
  - त्वरित सुधार दृष्टिकोण में हितधारकों के साथ पर्याप्त भागीदारी और परामर्श की कमी हो सकती है।
  - सामाजिक आयाम की उपेक्षा से प्रतिरोध और संघर्ष की स्थिति हो सकती है।
- **फंडिंग निर्भरता:**
  - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडिंग पर भरोसा करने से निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।
  - सामुदायिक आवश्यकताओं के बजाय दाताओं के हितों से प्रभावित परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।
- **भूजल प्रबंधन की उपेक्षा:**
  - सतही जल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने से भूजल की महत्त्वपूर्ण भूमिका की अनदेखी हो सकती है।
  - सतत् जल आपूर्ति के लिये **भूजल पुनर्भरण और प्रबंधन** महत्त्वपूर्ण है।
- **परस्पर विरोधी कार्यक्रम:**
  - कुछ राज्य परियोजनाएँ सामुदायिक और पर्यावरणीय हितों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं।
  - उदाहरण: नदी तट विकास, केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट, विशाल जल ग्रिड।
- **महत्त्वपूर्ण भागीदारी से बदलाव:**
  - **गहन विश्लेषण और समझ से "तकनीकी-प्रबंधकीय दृष्टिकोण" की ओर मानसिकता में बदलाव।**
    - इसका अर्थ है तकनीकी ज्ञान और समस्या-समाधान पर बहुत अधिक ज़ोर देना, जिससे जल प्रबंधन से संबंधित **महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक तथा पारिस्थितिक पहलुओं की अनदेखी हो सकती है।**

भारत में जल संकट से निपटने के लिये सरकारी योजनाएँ:

- **अमृत सरोवर मिशन:**
  - **अमृत सरोवर मिशन** 24 अप्रैल, 2022 को लॉन्च किया गया, इस मिशन का लक्ष्य **आजादी का अमृत महोत्सव समारोह** के हिस्से के रूप में प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है।
  - मिशन का उद्देश्य **स्थानीय जल निकायों की जल भंडारण क्षमता और गुणवत्ता** में सुधार करना, बेहतर जल उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य में योगदान देना है।
- **अटल भू-जल योजना:**
  - यह योजना **गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** के कुछ जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित करती है।
  - अटल भू-जल योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्थायी भू-जल प्रबंधन के लिये **स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए** वैज्ञानिक तरीकों से भू-जल की मांग का प्रबंधन करना है।
- **केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (CGWA):**
  - CGWA देश भर में उद्योगों, खनन परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं द्वारा भू-जल के **उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करता है।**
  - CGWA और राज्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप भू-जल निकासी के लिये **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** जारी करते हैं, जिससे जल का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (NAQUIM):**
  - केंद्रीय भूजल बोर्ड **देश में 25.15 लाख वर्ग किमी. के क्षेत्र को** शामिल करने वाले जलभृतों के मानचित्रण के लिये **NAQUIM** लागू कर रहा है।
  - सूचित हस्तक्षेप की सुविधा के लिये अध्ययन रिपोर्ट और प्रबंधन योजनाएँ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की जाती हैं।
- **भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान- 2020:**
  - इस योजना में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार मास्टर प्लान में लगभग **1.42 करोड़ रुपए की लागत से वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की रूपरेखा है।**
  - योजना का लक्ष्य **185 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) जल का उपयोग करना, जल संरक्षण और पुनर्भरण को बढ़ावा देना है।**

आगे की राह

- तात्कालिक ज़रूरतों और दीर्घकालिक चुनौतियों, दोनों का हल करने वाली **व्यापक और धारणीय जल प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया** जाना।
- जल प्रबंधन संबंधी निर्णयों में **समुदायों के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए प्रभावी सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित** करना।
- भविष्य में जल संकट से निपटने के लिये **जल संबंधी बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश को प्राथमिकता** देना।
- जल प्रबंधन पहल की प्रभावशीलता और प्रभाव का आकलन करने के लिये **ठोस निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की स्थापना** करना।
- **भावी पीढ़ियों हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार भू-जल प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा** देना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नम्निलखिति में से कौन-सा प्राचीन नगर उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लयि सुप्रसदि्ध है, जहाँ बाँधों की एक शृंखला का नरि्माण कयिा गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहति कयिा जाता था? (2021)

(a) धोलावीरा
(b) कालीबंगन
(c) राखीगढ़ी
(d) रोपड़

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'वाटर क्रेडटि' के संदर्भ में नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य करने के लयि सूक्ष्म वत्ति साधनों (माइक्रोफाइनेंस टूल्स) को लागू करता है।
2. यह एक वैश्वकि पहल है जसि वशि्व स्वास्थ्य संगठन और वशि्व बैंक के तत्त्वावधान में प्रारंभ कयिा गया है।
3. इसका उद्देश्य नरि्धन व्यक्तयिों को सहायकी के बनिा अपनी जल-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तति जल शक्त‍ि अभयिान की मुख्य वशिेषताएँ क्या हैं? (2020)

प्रश्न. रक्तिीकरण परदिृश्य में ववििकी जल उपयोग के लयि जल भंडारण और सचिाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइये। (2020)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/quick-fix-water-management